

मंत्रालय -

डी.के.एस. भवन, रायपुर - 492001

--: अधिसूचना :-

क्रमांक 537 / बी.14/12/2002/14-2/ बीज अधिनियम 1950 (अधिनियम संख्या 54 वर्ष 1980) की धारा 8 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रमाणीकरण एजेंसी को सौंपे गये कृत्यों को क्रियान्वित करने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के लिए छत्तीसगढ़ राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था का गठन करता है। इस संस्था के संचालक बोर्ड के सदस्य निम्नांकित होंगे :-

1	कृषि उत्पादन आयुक्त, छत्तीसगढ़ शासन	अध्यक्ष
2	सचिव कृषि विभाग छत्तीसगढ़ शासन	उपाध्यक्ष
3	अपर मुख्य सचिव / सचिव कृषि विभाग या उनका प्रतिनिधि छ0ग0शासन	सदस्य
4	उपायुक्त (बीज) भारत शासन कृषि मंत्रालय	सदस्य
5	संचालक कृषि संचालकालय कृषि छ0ग0राज्य	सदस्य
6	संचालक अनुसंधान सेवाएं, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर	सदस्य
7	विभागाध्यक्ष पौध प्रजनन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर	सदस्य
8	प्रबंध संचालक अथवा उनका प्रतिनिधि (अपर संचालक कृषि, (बीज) छ0ग0राज्य कृषि विपणन मंत्री बोर्ड)	सदस्य
9	प्रगतिशील कृषक (छत्तीसगढ़ का नैदानिक क्षेत्र)	सदस्य
10	प्रगतिशील कृषक (बस्तर का पठार)	सदस्य
11	प्रगतिशील कृषक (उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र)	सदस्य
12	प्रबंध संचालक छ0ग0राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, रायपुर	सदस्य-सचिव

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(सी0एल0बैन)

उप सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग